

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-म. प्र.
वि. प्र. भुं-04 भोपाल-03-05.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-708-भोपाल-03-05.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 24 जनवरी 2005—माघ 4, शक 1926

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2005

क्र. एफ. 14-13-2004-ए-सोलह.—भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कर्मकारों के निम्नलिखित प्रवर्गों को भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार के रूप में सम्मिलित करती है, अर्थात् :-

सारणी

अनुक्रमांक (1)	कर्मकारों के प्रवर्ग (2)
1	पत्थर काटने वाले या पत्थर तोड़ने वाले या पत्थर पीसने वाले
2	राज (मैसन) या ईंटों पर रक्दा करने वाले
3	बढ़ई (कारपेंटर)
4	पुताई करने वाले (पेंटर)
5	फिटर या बार बेंडर
6	सड़क के पाईप मरम्मत कार्य में लगे प्लम्बर
7	इलेक्ट्रिशियन
8	मैकेनिक
9	कुएं खोदने वाले
10	बेल्डिंग करने वाले
11	मुख्य मजदूर
12	मजदूर

16/2/05

(1)

(2)

13	सिमेंट या मिक्सरमेंट (सड़क बनाने में लगे)
14	लकड़ी या पत्थर पैक करने वाले
15	कुएं में गाद (तलछट) हटाने वाले गोताखोर
16	हथौड़ा चलाने वाले
17	छप्पर डालने वाले
18	मिस्त्री
19	लौहार
20	लकड़ी चौरने वाले
21	कॉलकर
22	मिश्रण करने वाले (कांक्रीट मिक्सर चलाने वाले सहित)
23	पंप आपरेटर
24	मिक्सर चलाने वाले
25	रोलर चालक
26	बड़े यांत्रिकी कार्य जैसे भारी मशीनरी, पुल के कार्य आदि में लगे खलासी
27	चौकीदार
28	मोजाईक पालिस करने वाले
29	सुरंग कर्मकार
30	संगमरमर/कड़प्पा पत्थर कर्मकार
31	सड़क कर्मकार
32	चट्टान जोड़ने वाले एवं खनि कर्मकार
33	संनिर्माण कार्य से जुड़े मिट्टी का कार्य करने वाले
34	चूना बनाने की क्रिया में लगे कर्मकार
35	बाढ़-कटाव रोधी कार्य में लगे कर्मकार
36	बांध, पुल, सड़क या किसी भवन संनिर्माण संक्रिया में नियोजन में लगे कोई अन्य प्रवर्ग के कर्मकार
37	कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 63) के अधीन ईट बनाने में लगे कर्मकार से भिन्न कर्मकार
38	संडाल संनिर्माण में लगे कर्मकार

No. F. 14/13-04-XVI-A.—In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (1) of Section 2 of the Building and other Construction workers (Regulation of Employment and conditions of Services) Act, 1996 (No. 27 of 1996), the State Government hereby include the following categories of the workers specified in column of the table below as building and other Construction worker namely—

TABLE

Serial Number	Category of workers
(1)	(2)
1	Stone cutter or stone breaker or stone crusher
2	Mason or Brick Layer
3	Carpenter
4	Painter
5	Fitter or bar bender
6	Plumber for road pipe work

(1)	(2)
7	Electrician
8	Mechanic
9	Well sinker
10	Welder
11	Head Mazdoor
12	Mazdoor
13	Sprayman or mixerman (road surfacing)
14	Wooden or stone packer
15	Well diver for removing silt
16	Hammerman
17	Thatcher
18	Mistry
19	Blacksmith
20	Sawer
21	Cauker
22	Mixer (including concrete mixer operator)
23	Pump operator
24	Mixer Driver
25	Roller Driver
26	Khalasi engaged in heavy Engineering work like heavy machinery, bridge work, etc.
27	Watchman
28	Mosaic Polisher
29	Tunnel worker
30	Marble/cuddapah stone worker
31	Road worker
32	Rock breaker and Quarry worker
33	Earth worker connected with construction work.
34	Worker engaged in Processing lime
35	Worker engaged in anti flood erosion work
36	Any other category of worker who is engaged in the employment in construction or maintenance of dams, bridges, roads or in any building operations.
37	Worker engaged in brick manufactory other than Brick Manufactory under the Factories Act, 1948 (Central Act 63 of 1948).
38	Workers engaged in construction of Pandals.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज दुबे, उपसचिव.